विषय सूची

प्रस्तावना	2
शांति सद्भाव का लाभांश—आतंकवाद का क्षय	6
आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा—चौतरफा विकास के कदम	11
कृषि—समृद्धि की खेती	16
उद्योग एवम श्रम—सर्जकों को प्रोत्साहन	19
इंन्फ्रास्ट्रक्चर—औजारों का प्रावधान	22
गरीबी उन्मूलन— गंभीर तथा निरंतर प्रयास	24
रोजगार— प्रायोजन की सुनिश्चितता	26
खाद्यान्न सुरक्षा— महत्वपूर्ण पहलें	29
स्वास्थ्य—शरीर का उपचार	31
शिक्षा—मस्तिष्क की समृद्धि	34
अर्थनीति—प्रगति का वित्त पोषण	37
अपराध—सुरक्षा की सुनिश्चितता	39
उपसंहार	40

प्रस्तावना

त्रिपुरा में नई विधानसभा तथा सरकार चुनने के लिए अगले वर्ष के शुरू में चुनाव होने हैं। वर्तमान लैफ्ट फ्रंट वहां सन 1993 से लगातार सरकार में रहा है, और एक बार फिर पूरे आत्म विश्वास से इस दिशा में प्रयासरत है। लैफ्ट फ्रंट की सरकार वहां पहले भी सन 1978 से 1987 तक सत्ता में रही थी। लेकिन त्रिपुरा में आगामी चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होने जा रहे हैं।

वर्तमान समय में, केंद्र में बीजेपी/ आरएसएस जोड़ी सत्ता में है, जो इस सत्ता का इस्तेमाल, हर असहमति व विपक्ष के खिलाफ कर रही है। त्रिपुरा और केरल की वामपंथी नेतृत्व वाली सरकारें उसके ख़ास निशाने पर हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजनीति में एक नई शैली का आविष्कार किया है, जिसे मुठभेड़ की राजनीति कहा जा सकता है। इसमें किसी सिद्धांत, ईमानदारी, आचार संहिता, सत्यनिष्ठा, जनवादी आदर्श इत्यादि का पूर्ण निषेध होता है तथा येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने के प्रयास किये जाते हैं। त्रिपुरा तथा केरल में अस्थिरता पैदा करने के लिए बीजेपी/ आरएसएस द्वारा हिंसक तथा विभाजनकारी राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी और शाह के नेतृत्व में बीजेपी वहां जनतांत्रिक प्रक्रियाओं का विध्वंस कर सत्ता हथियाना चाह रही है।

शाह ने त्रिपुरा को अपना अगला निशाना बताया भी है।

भाजपा, आज की तारीख में, त्रिपुरा में पिछले चुनावों में एक भी सीट जीते बिना ही मुख्य विपक्षी पार्टी बन गयी है। दूसरे प्रान्तों में वह सीबीआइ, ईडी, और इनकम टैक्स विभाग का दुरपयोग करके वहां की सरकारों को डराती धमकाती रहती है तथा ब्लैकमेल करती है। मगर मोदी–शाह की जोड़ी त्रिपुरा में बहुत ही सम्मानीय व लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मानिक सरकार के खिलाफ ऐसी किसी तिकड़म का प्रयोग नहीं कर पा रही है और न ही किसी कम्युनिस्ट विधायक को खरीद पा रही है। इसलिए, वहां एक अलग किस्म की तिकड़म को आजमाया जा रहा है—उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुने गए ऐसे विधायकों का दल बदल करवाया है, जो पहले तृणमूल में चले गए थे। भाजपा ने इस तरह बदनाम व भ्रष्ट तत्वों को निगलकर वहां अपने पैर जमाये हैं और वह

सभी कम्युनिस्ट विरोधी प्रतिगामी ताकतों को एकजुट करने की जुगाड़ में है।

लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का भाजपा/ आरएसएस का पुराना आजमाया और परखा हुआ तरीका रहा है। लेकिन, चूंकि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक जनसंख्या बहुत ही कम है, इसलिए उनका मानना है कि वहां साम्प्रदायिक घृणा पर आधारित राजनीति करना उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन त्रिपुरा की 31 फीसद आबादी आदिवासी समुदाय से है। इसलिए, वहां उग्रवादी आदिवासी गिरोहों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है तथा आइपीएफटी (एनसी गुट) जैसे अलगाववादी संगठनों को खास तौर पर समर्थन व संरक्षण दिया जा रहा है।

भाजपा/ आरएसएस ने आदिवासी तथा गैर–आदिवासी लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए अलगाववादी व बैर पैदा करने वाली नीति की शुरुआत की है, जिसके तहत विरोध प्रदर्शन के अत्यंत उकसावे वाले तौर–तरीके अपनाए गए हैं, निर्दोष लोगों पर हिंसात्मक हमले किये गए हैं तथा झूठ व अफवाहें फैलाने के लिए करोड़ों रुपये बहाए गए हैं। त्रिपुरा में उपद्रव पैदा करने तथा हिंसा फैलाने के मकसद से अनाप–शनाप धन का प्रयोग किया जा रहा है। बीजेपी की इसी राजनीति का खौफनाक नतीजा है कि एक युवा तथा प्रगतिशील पत्रकार, शांतनु भौमिक की क्रूर हत्या भाजपा समर्थित आइपीएफटी के लोगों द्वारा कर दी गयी है।

जातीय कलह पैदा करो, जनता के बीच स्थापित एकता का विध्वंस करो, यही है भाजपा/ आरएसएस के 'राष्ट्रवाद' का असली चेहरा।

यह हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर भी हमला है। त्रिपुरा में उग्रवादी तत्वों को मिल रहे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संरक्षण में, संविधान की संघीय व्यवस्था पर तथा जनता द्वारा चुनी गयी राज्य सरकार पर हमला किया जा रहा है। इन उग्रवादी तत्वों का प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा संपर्क है, जहां इन्होंने केन्द्रीय राज्य मंत्री से मंत्रणा की थी, और उनके लौटकर आ जाने के उपरान्त एक हिंसक आन्दोलन की शुरुआत हुयी थी। इसको जनतंत्र तथा संविधान की विनाशलीला न कहा जाए तो और क्या कहा जाए?

यहां सिर्फ लैफ्ट फ्रंट की सरकार अथवा एक राजनीतिक दल का ही भविष्य दांव पर नहीं लगा हुआ है बल्कि यहां देश के ऐसे क्षेत्र में, जहां जातीय विवाद विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बने रहे हैं, एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य की जनता के बीच स्थापित एकता को ही खतरे में डाला जा रहा है।

भाजपा/ आरएसएस की इस हिंसात्मक व्यूहरचना की परवाह न करते हुए, त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार एक जनहितकारी विकास यात्रा पर अग्रसर है। इसे त्रिपुरा के विकास का जनोन्मुखी मॉडल कहा जा सकता है।

प्रस्तुत पुस्तिका में लैफ्ट फ्रंट सरकार द्वारा पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में किये गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस सरकार ने आदिवासी अधिकार तथा संस्कृति की रक्षा में, गरीबी घटाने की दर में तेजी लाने में, कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि लाने में, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में, शिक्षा के प्रसार में—जहां राज्य ने सम्पूर्ण साक्षरता का कीर्तिमान स्थापित किया है— स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में, विद्युत उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने में, सड़कों का जाल बिछाने में, एवम आर्थिक उन्नति के अन्य क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

पुस्तिका में प्रस्तुत किये गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय तथा राजनीतिक शक्तियों के अनुचित केन्द्रीयकरण के बावजूद, त्रिपुरा में शासन का एक वैकल्पिक पथ या मॉडल अपनाया गया है। इस वैकल्पिक मॉडल में जनोन्मुखी दृष्टिकोण का जज्बा है, जहां सबसे अधिक गरीब और दूर-दराज के समूहों तक पहुंच बनाने की नीयत से नीतियों का सावधानी तथा बारीकी से निर्माण तथा क्रियान्वयन किया जाता है और इसके कारण उन तबकों का आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण हो पाया है तथा उनकी राजनीतिक सहभागिता में इजाफा हुआ है।

इस वैकल्पिक शासन विधि में नवउदारवादी नीति निर्धारकों की उन प्रचलित, मगर गलत मान्यताओं का निषेध है जिनमें, सार्वजनिक हित में किये जाने वाले खर्चों में कटौती करने तथा आवश्यक सेवाओं के निजीकरण को, विकास और समृद्धि लाने के लिए राम बाण माना जाता है। हमने दुनिया के तमाम देशों में तथा अपने देश में भी यह देखा है कि इन नवउदारवादी नीतियों को गले लगाने से असमानता तथा जनता के अनियंत्रित शोषण में तेजी आती है, संपत्ति का केन्द्रीयकरण होता है तथा जनता को मूलभूत मानवीय सुविधाओं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जाता है।

त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार ने, एक राज्य सरकार की सीमाओं में, अपने सीमित आर्थिक व वित्तीय संसाधनों के बावजूद यह साबित कर दिया है कि मुसीबत की मारी जनता को थोड़ी राहत अवश्य पहुंचाई जा सकती है तथा शिक्षा एवम स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

लेकिन इस दौरान, त्रिपुरा सरकार को केंद्र सरकार से संसाधनों के अपने यथोचित हिस्से को हासिल करने के लिए और राज्य के काम में क्षति पहुंचाने वाले केंद्र सरकार के एकतरफा फैसलों के विरुद्ध, लगातार संघर्ष करते रहना पड़ा है। केंद्र का यह भेदभाव पूर्ण तथा मनमानी भरा रवैया पिछली यूपीए सरकार के दौरान भी बरकरार था और मोदी सरकार के समय में अधिक उग्र रूप में जारी है।

त्रिपुरा की जनता, निस्संदेह भाजपा/ आरएसएस के षड्यंत्र को परास्त करेगी।

जनता इस नफरत की राजनीति को शिकस्त देगी। पूरे उत्तर-पूर्व में शान्ति सद्भाव के इस इकलौते क्षेत्र को विकसित करने के लिए किये गए अनेक वर्षों के बलिदानों की हिफाजत करना, त्रिपुरा की जनता बखूबी जानती है। वह एकता तथा सौहार्द्र के बंधनों को और अधिक मजबूत करेगी तथा लेफ्ट फ्रंट सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विकास की वैकल्पिक नीतियों के मार्ग पर अग्रसर रहेगी।

त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार की इन उल्लेखनीय उपलब्धियों को त्रिपुरा के बाहर की जनता के बीच ले जाने की भारी आवश्यकता है। एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में, अपनी दलगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अपनाई जा रही भाजपा/ आरएसएस की नीच, खतरनाक तथा राष्ट्रविरोधी राजनीति को भी जनता के बीच बेनकाब करने की जरूरत है। बीजेपी छाप राष्ट्रवाद के ढोल की पोल तथा इसकी असलियत को उजागर करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तिका के प्रकाशन का मकसद यही है कि त्रिपुरा की जनता के संघर्षों की सही तस्वीर, पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार तथा भाजपा/ आरएसएस के खिलाफ जारी लड़ाई को अनुप्राणित एवम प्रेरित करे।

हम उन सभी साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके अध्ययन व लेखन से इस पुस्तिका का प्रकाशन संभव हो पाया है। हम इस पुस्तिका की हिंदी में प्रस्तुति के लिए अशोक गर्ग के विशेष रूप से आभारी हैं।

नवंबर, 2017

बृंदा करात
पोलित ब्यूरो सदस्य

गणमुक्ति परिषद रैली

शांति सद्भाव का लाभांश— आतंकवाद का क्षय

अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की भांति, त्रिपुरा भी एक ज़माने में सशस्त्र विद्रोह का शिकार हुआ करता था, जहां हिंसा तथा आर्थिक विकास के विनाश के कारण न केवल बहुत सारे लोगों की जान चली जाया करती थी बल्कि सामाजिक आर्थिक ताना बाना भी छिन्न-भिन्न हो जाया करता था। लेकिन त्रिपुरा ने एक मिसाल प्रस्तुत की है कि किस तरह सही राजनीतिक पहल के जरिये विद्रोह व उपद्रव की स्थिति को शिकस्त दी जा सकती है।

वर्ष 1967 में स्थापित त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति (टीयूजेएस) के साथ आदिवासी पहचान की राजनीति पर आधारित विद्रोह की यहां शुरुआत हुयी थी। त्रिपुरा की जनता के बीच आदिवासी तथा गैर-आदिवासी का भेद पैदा किया गया, तथा आदिवासी हितों के हिमायती होने का भ्रम पैदा किया गया। टीयूजेएस को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। कांग्रेस का सत्ता पर अधिकार रहा था, लेकिन उसकी जनविरोधी नीतियों को वामपंथी आन्दोलन की ओर से जबरदस्त चुनौती मिल रही थी। टीयूजेएस की स्थापना मुख्य रूप से वामपंथ समर्थित गण मुक्ति परिषद् का विरोध करने की नीयत से की गयी थी। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस 1977 में विधानसभा चुनाव हार गयी तथा वहां पहली बार लैफ्ट फ्रंट की सरकार गठित की गयी। आपातकाल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए शेष भारत की जनता ने भी कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फैंका था।

त्रिपुरा में टीयूजेएस ने गुप्त रूप से 'त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स' (टीएनवी) नाम के सशस्त्र ग्रुप का गठन किया। 1980 से टीयूजेएस ने लैफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ उग्रवादी तथा हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेना प्रारम्भ कर दिया। टीएनवी ने 'स्वाधीन त्रिपुरा' का नारा दिया और इसका सीमा पार बांग्लादेश से संचालन होना शुरू हो गया। उस समय यह साबित हो गया था कि इनको सीआइए का प्रश्रय मिल रहा था।

लैफ्ट फ्रंट सरकार ने वहां प्रगतिशील एवम जनोन्मुखी शासन प्रणाली का

शुभारम्भ किया। लेकिन इस बीच सशस्त्र उग्रवादी गतिविधियां तेज हो गयीं, जिनको कांग्रेस गुपचुप तरीके से समर्थन दे रही थी। राज्य में अराजकता बढ़ रही थी। इन हिंसक घटनाओं तथा आतंकी वातावरण के कारण, 1988 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस-टीयूजेएस गठजोड़ ने सत्ता हथियाने में सफलता हासिल कर ली।

वर्ष 1989 से 1993 के दौरान, जब कांग्रेसी सरकार त्रिपुरा में सत्ता पर काबिज थी, यह त्रिपुरा के इतिहास का सबसे ख़राब दौर कहा जा सकता है। प्रथम लैफ्ट फ्रंट सरकार की सारी विकास परियोजनाओं को पलट दिया गया तथा अराजकता तथा अपराधियों को दिए गए राजनीतिक प्रश्रय से सम्पूर्ण प्रदेश को अत्यंत असुरक्षित बना दिया गया। इसके साथ ही, वामपंथी एवम कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर जान लेवा हमले किये गए। इन पांच वर्षों के शासन के दौरान, 1989 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ त्रिपुरा तथा 1990 में आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स जैसे संगठनों को खड़ा किया गया, और दोनों ने हिन्दुस्तान से अलग होने की मांग के साथ, केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के विरुद्ध जंग छेड़ने का एलान कर दिया। कांग्रेस का समर्थन इन्हें तब भी हासिल रहा। 1993 के चुनावों में कांग्रेस, जनता की एकता तथा संकल्प के सामने, हार गयी, मगर उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां फिर भी जारी रहीं।

उन्होंने गैर-आदिवासी तबकों तथा वामपंथ समर्थक आदिवासियों पर क्रूर हमले करने में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। वामपंथी तथा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता खासतौर पर उनके निशाने पर थे और इन उग्रवादियों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। ये सीमा पार से संचालित होते थे और उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपद्रव कर रहे अन्य समूहों से हथियार प्राप्त करते थे। लैफ्ट फ्रंट सरकार को हटाने के लिए छुप कर कार्य कर रही पश्चिमी संस्थाओं से भी ये उग्रवादी गिरोह सांठ-गांठ किये हुए थे। नब्बे के दशक के मध्य तक हिंसक तथा कट्टरपंथी विद्रोह अपने चरम स्तर पर बना रहा और लैफ्ट फ्रंट अकेले ही उसके खिलाफ मैदान में डटा रहा। वर्ष 2000 के त्रिपुरा के स्वायत्त जिला परिषद चुनावों के ऐन मौके पर सभी उग्रवादी तथा विघटनकारी आदिवासी संगठनों ने मिलकर आइपीएफटी का गठन किया। इन लोगों ने बन्दूक की नोक पर चुनाव में धांधली करके एडीसी में बहुमत प्राप्त कर लिया। उसके बाद वहां भारी भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ और आदिवासियों के लिए मुक़र्रर फंड में से करोड़ों रु0 का गबन किया गया। आखिरकार, आइपीएफटी में विभाजन हो गया तथा एडीसी पर नरम दलीय तत्वों का नियंत्रण कायम हो गया, जिन्हें लैफ्ट फ्रंट ने बाहर से समर्थन दे रखा था।

1998 से 2007 के दौरान सशस्त्र गिरोहों ने गैर-आदिवासियों तथा लैफ्ट समर्थक आदिवासियों को निशाना बनाकर गांवों पर हमले किये और आगजनी की, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवायी। लैफ्ट फ्रंट सरकार के सामने एक ऐसी कठिन स्थिति पैदा

का. दसरथ देब बर्मा

हो गयी थी कि विकास के सारे कार्य नाकाम सिद्ध हो रहे थे। लगातार हो रहे खून-खराबे की स्थिति में अर्थ व्यवस्था ठप्प पड़ गयी थी और सरकार कोई सार्थक हस्तक्षेप नहीं कर पा रही थी। यह लगभग वैसी स्थिति थी, जैसी आज हम उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों में तथा जम्मू कश्मीर व कुछ दूसरे राज्यों के कुछ हिस्सों में पाते हैं।

लेकिन त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति को मजबूती से अपनाया, जिसका अनुसरण अन्य ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां कि इस तरह के आतंकी उपद्रव आज भी चल रहे हैं। इस रणनीति के तहत, जनता को उपद्रवियों के विरुद्ध एकता एवम शान्ति के पक्ष में एकजुट किया गया, आर्थिक आपदा से राहत दिलाने के लिए अनेक मज़बूत कदम उठाये गए तथा उपद्रवी तत्वों को अलग-थलग करने के लिए स्थानीय तथा अर्द्ध-सैनिक बलों का सतर्कता पूर्ण उपयोग किया गया। आतंकियों को मिल रहे खाद-पानी की जड़ें नष्ट करने के लिए लैफ्ट फ्रंट कार्यकर्ताओं ने दूर-दराज के इलाकों में स्थित ग्रामीणों को एकजुट किया। सैकड़ों कम्युनिस्ट आदिवासी कार्यकर्ता शहीद हुए, तथा उनके घर जला दिए गए। इस जंग में आदिवासी महिलाओं ने भी बहादुराना भूमिका निबाही।

इसी दौरान, आनंद मार्गियों जैसे अंध-राष्ट्रवादियों ने आदिवासियों के खिलाफ बंगालियों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। फिर भी वहां पार्टी, वाम ताकतों तथा जन संगठनों ने उन्हें अलग-थलग करने में सक्रिय भूमिका अदा की। इन मजबूत तथा अनवरत प्रयासों से, जिन्हें पार्टी और वाम जन संगठनों का सहयोग प्राप्त था, अलगाववादी ताकतों को पराजित किया जा सका तथा उनमें से अनेक ने हथियार समेत आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने इस प्रक्रिया में चतुराई से काम लिया तथा इन गुमराह युवकों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर-पूर्व के राज्यों में से केवल त्रिपुरा में ही कठोर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट (अफस्पा)को ख़त्म किया गया है।

लेफ्ट फ्रंट सरकार व वाम आन्दोलन की इन नीतियों, नजरिये तथा कार्य प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि जिस क्षेत्र में आतंक का राज कायम था, जिसमें 3488 लोगों की जानें जा चुकी थीं, वहां शान्ति और सद्भाव की बहाली हुयी। आगे के दशक (2008-17) के दौरान उग्रवादी गतिविधियों के कारण होने वाली मौतों में लगभग शत प्रतिशत की कमी आयी है। विघटनकारी ताकतों की ऐसी निर्णायक तथा गहन पराजय देश के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलती है।

उत्तर पूर्व राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों में हुयी मौतों का विवरण

राज्य	1992-97	1998-2007	2008-17	कुल योग	वर्तमान व पिछले दशक में आयी कमी % में
त्रिपुरा	1239	2200	49	3488	98
अरुणाचल	24	266	91	384	66
असम	1793	4807	1677	8278	65
मिजोरम	4	33	12	49	64
नागालैंड	1338	835	348	2522	58
मणिपुर	2029	2597	1478	6118	43
मेघालय	22	346	343	713	0.3

2017 के आंकड़े 1 अक्टूबर तक

स्रोतः एसएटीपी

इस हार तथा शान्ति की पुनर्स्थापना का नतीजा यह हुआ है कि लैफ्ट फ्रंट सरकार अपनी ऐसी जनोन्मुखी आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को लागू करने में सफल रही है, जिनसे जनता के जीवन में सम्पन्नता तथा कल्याण का मार्ग खुल गया है।

इस प्रष्ठभूमि में, बीजेपी/ आरएसएस का वर्तमान कृत्य घोर आपराधिक माना जा सकता है। बीजेपी, अधिक धन बल का प्रयोग करके, उसी कपट विद्या का उपयोग कर रही है, जिसका अस्सी तथा नब्बे के दशक में कांग्रेस किया करती थी, ताकि जनता को पहचान की राजनीति का मोहरा बनाया जा सके, उसके बीच हिंसा और खून खराबे का वातावरण पैदा किया जा सके तथा विघटनकारी ताकतों को बल प्रदान किया जा सके।

पिछले साल से, आइपीएफटी ने वर्तमान स्वायत्त जिला परिषद् क्षेत्र को एक पृथक राज्य 'त्विपरालैंड' बनाने की मांग करना प्रारम्भ कर दिया है। बीजेपी ने आइपीएफटी से संपर्क साध रखा है तथा उसके नेताओं को भारी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। पैसे के लेन-देन के आरोप-प्रत्यारोप के कारण उनमें फूट भी पड़ गयी है। एन सी देबबर्मा का गुट बीजेपी का मुख्य औजार बन गया है तथा बीजेपी वहां के अन्य छोटे आदिवासी गुटों के लिए भी चारा डाल रही है।

आइपीएफटी (एन सी) आजकल कुछ आदिवासी इलाकों में हिंसक गतिविधियों में लिप्त है। उनके एक पैंफलेट में प्रधान मंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह से

अपने कुछ नेताओं की मीटिंग का हवाला दिया गया था। उन्होंने आइपीएफटी के नेताओं को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया बताते हैं। तत्पश्चात, आइपीएफटी ने पृथक राज्य की मांग को लेकर ग्यारह दिनों की नाकेबंदी का आयोजन किया था।

यह केवल राजनीतिक अवसरवादिता का ही मामला नहीं है। यह एक राष्ट्रविरोधी षड्यंत्र है, जिससे भारत की जनता की एकता व देश की अखण्डता के लिए हिंसक खतरा उत्पन्न हो सकता है। भाजपा वहां, सत्ता की भूख के लिए खुल्लमखुल्ला एक ऐसे गुट को सहारा दे रही है, जिसका आतंकवाद से रिश्ता है और जो त्रिपुरा की जनता के खिलाफ एक हिंसक और रक्तरंजित मुहिम छेड़े हुए है। भाजपा कहने को तो राष्ट्रभक्ति के मन्त्र का जाप करती रहती है, लेकिन राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी कर रही है। यह उसकी राजनीति का एक घिनौना चेहरा है।

विकास कार्यों के लिए शांति सद्भाव का होना आवश्यक है तथा शांति के लिए विकास का। लैफ्ट फ्रंट सरकार वहां सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में ऐसी नीतियों के अनुपालन में लगी है, जो अन्य राज्यों, खासकर उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती हैं। त्रिपुरा की जनता निस्संदेह मेल-जोल तथा एकजुटता के मूल्यों की रक्षा करती रहेगी।

सी पी आई (एम) राज्य सचिव का. बिजॉन धर लाल झंडा फहराते हुए

आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा— चौतरफा विकास के कदम

त्रिपुरा की लगभग 31ज आबादी आदिवासी समुदायों से आती है। ऐतिहासिक रूप से, आदिवासी समुदायों का भारी आर्थिक शोषण होता रहा है और गुजर-बसर लायक खेती तथा वन उत्पादों का संग्रह उनकी जीविका का मुख्य साधन रहा है। आदिवासी लोग दूर-दराज के गांवों में निवास करते रहे हैं और निर्दयी शासकों द्वारा उनके अधिकारों व उनके विकास के प्रति घोर उपेक्षा का भाव बनाए रखा गया है।

आदिवासियों के संघर्षों का एवं कामरेड दसरथ देब बर्मा जैसे प्रसिद्ध नेताओं के नेतृत्व का ही नतीजा था कि गण मुक्ति परिषद की स्थापना हुयी, जिसके माध्यम से शिक्षा के प्रसार तथा आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आन्दोलन खड़े हो पाए। त्रिपुरा के

10.10.17 को दयाराम पारा पर स्थित खुमचक कला केन्द्र के नए भवन का उद्घाटन करते हुए राधा चरण देबबर्मा (CEM TTAADC)
आई.सी.ए. मंत्री भानुलाल साहा और एम एल ए निरंजन देबबर्मा भी साथ में हैं

आदिवासियों के बीच कम्युनिस्टों द्वारा पूर्व में किये गए कामों के बल पर शक्तिशाली आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसको वहां का शासक वर्ग नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वाम आन्दोलन की जड़ें वहां दशकों पहले से गहरे तक जमी हुयी हैं, जो सामंती उत्पीड़न तथा जमीन छिनने के विरुद्ध संघर्षों द्वारा तथा जीवन निर्वाह की बेहतरी के लिए गए संघर्षों के बल पर संभव हो पाया है। गण मुक्ति परिषद ने इन संघर्षों में आदिवासी एकता की हिमायत ही नहीं की बल्कि उन राजनीतिक निहित स्वार्थों को बेनकाब भी किया, जो आदिवासियों को अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह के अंधे कुएं में धकेलना चाहते थे।

लैफ्ट फ्रंट सरकार ने आदिवासी समुदाय के सक्रिय नेतृत्व तथा भागीदारी की मदद से, आदिवासियों के जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जैसा कि इस पुस्तिका के अन्य खण्डों में दिखाया गया है, लैफ्ट फ्रंट सरकार ने आदिवासियों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बेहतरी लाने के लिए योजनाबद्ध तथा निरंतर प्रयास किये हैं। आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों के मध्य एकता बनाने तथा विकसित करने हेतु भी सावधानीपूर्वक कदम उठाये गए हैं। यह ऐसे दूसरे सभी प्रदेशों से भिन्न मामला है, जहां आदिवासियों की काफी जनसंख्या है, चाहे वे उत्तर-पूर्व में हों अथवा मध्य भारत में।

जमीन और जंगल का अधिकार

पूरे देश के पैमाने पर, आदिवासियों के सामने जो विकट चुनौती है, वो है जंगल की जमीन पर उनके अधिकार के सम्बन्ध में। आदिवासियों के साथ की गयी ऐतिहासिक ज्यादतियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए वनाधिकार (फॉरेस्ट राइट्स) क़ानून के होते हुए भी, पहले कांग्रेस तथा अब बीजेपी सरकारों द्वारा नवउदारवादी नीतियों के अपनाए जाने के कारण, शेष देश में, आदिवासियों को उनके जमीन के अधिकार से वंचित ही रखा गया है। जमीन से दुष्टतम व क्रूर, बलात बेदखली और आदिवासियों के विस्थापन का खेल, ख़ास तौर पर बीजेपी शासित प्रदेशों में जारी है।

इसके ठीक विपरीत, त्रिपुरा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एक भी आदिवासी परिवार को बेदखली और विस्थापन का सामना नहीं करना पड़े। जंगल की जमीन पर उनके अधिकार की मान्यता को पुख्ता करने में त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार की उपलब्धि पूरे देश में सर्वोत्तम रही है। वनाधिकार क़ानून के अंतर्गत, लगभग 1.24 लाख आदिवासी परिवारों को 4.34 लाख एकड़ जंगल की जमीन के पट्टे आवंटित किये गए हैं, ताकि जीविका का स्थायी तथा सुरक्षित साधन उन्हें उपलब्ध हो सके।

वनाधिकार क़ानून के क्रियान्वयन के साथ साथ, त्रिपुरा सरकार ने आर्थिक सहायता

का प्रावधान भी किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। जिन आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं, उनमें से करीब तीन-चौथाई को आर्थिक मदद पहुंचाई गयी है, जबकि अन्य प्रदेशों में पट्टाधारकों को आर्थिक मदद अथवा ऋण देने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया है, जिसके कारण जमीन से उन्हें कोई ख़ास लाभ नहीं हो सका है।

आदिवासी किसानों को अधिक उपज का लाभ इसलिए मिल पाया है क्योंकि उन्हें उन्नत बीज, सस्ती खाद, बाज़ार तक पहुंच, समर्थन मूल्य तथा आधुनिक तकनीक आदि की सुविधा मुहैया कराई गयी है। बीजेपी की कोई भी

सरकार, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अथवा झारखंड की सरकार इसका दावा नहीं कर सकती है कि उसने आदिवासी किसानों को सस्ते इनपुट्स की कोई सुविधा उपलब्ध कराई है।

छठी अनुसूची

संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों के अधिकारों की गारंटी की व्यवस्था की गयी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करती रहती है। छठी अनुसूची के तहत, जो कि देश के उत्तर-पूर्व पर लागू होती है, आदिवासी बहुल इलाकों में, स्वायत्त स्वशासन के सिद्धांत के अंतर्गत, परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। सन 1982 में, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिससे आदिवासी क्षेत्र का आदिवासियों द्वारा स्वायत्त शासन सुनिश्चित होता था। सन 1985 में इसको छठी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। यह एक निर्वाचित संस्था होती है, जो आदिवासी समुदाय के सभी क्षेत्रों के स्वायत्त शासन के लिए उत्तरदायी है। नियमित चुनावों के माध्यम से, जो 527 ग्राम सभाओं में भी संपन्न किये जाते हैं तथा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा फंड आवंटित किये जाते हैं, स्वायत्त जिला परिषद गठित की जाती है, जो लम्बे समय से पीड़ित आदिवासी जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके कल्याण के लिए बहुत उपयोगी साबित हुयी है। यह असम में छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित तथाकथित स्वायत्त परिषद से, जिसे फंड से वंचित रखा गया है, बिल्कुल भिन्न है। सही मायने में तो ऐसी स्वायत्त संस्था केवल त्रिपुरा में ही अस्तित्व में है।

आदिवासी उप-योजना

मोदी सरकार ने आदिवासी उप-योजना तथा अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान दोनों को समाप्त कर दिया है। लेकिन, त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार ने

आदिवासियों के इस मौलिक अधिकार की कि, जनसंख्या के अनुपात में योजना धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए, अवहेलना करने वाली उक्त नीति को अमान्य कर दिया है। राज्य सरकार लगातार अपने योजना खर्च के 31 फीसद हिस्से का आवंटन आदिवासी उप-योजना के लिए सुनिश्चित करती है। इस मायने में यह सरकार उन चुनिन्दा सरकारों में से एक है जो हकीकत में इस सिद्धांत की पक्षधर हैं।

शिक्षा एवम स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं का तुरंत तथा सम्पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए, 499 स्वास्थ्य उप-केंद्र, 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तथा 7 सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र आदिवासी इलाकों में स्थापित किये गए हैं। इनमें 135 डॉक्टर, व 377 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गयी है और यह संख्या आवश्यक मानकों के अनुसार है। त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्यकर्मियों की इतनी तैनाती एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जानी चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में, जहां आदिवासी जनसंख्या है, वहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की हमेशा कमी बनी रहती है।

आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों की संख्या

राज्य	स्वीकृत	तैनात	% कमी
त्रिपुरा	135	135	0
अखिल भारत	5309	4298	19
कुछ अन्य राज्य			
गुजरात	679	271	60
मध्य प्रदेश	360	299	17
ओडिशा	426	221	48
छत्तीसगढ़	366	156	57
मणिपुर	130	45	65
मेघालय	128	114	11
(स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय)			

त्रिपुरा, आदिवासी पुरुष जनसंख्या के बीच 86.4 की साक्षरता दर के साथ, देश सभी राज्यों में दूसरे नंबर पर है। आदिवासी पुरुषों की 68.5 फीसद की अखिल भारतीय साक्षरता दर तुलना में यह काफी अधिक है। इसी प्रकार, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर देश स्तर पर 49.4 फीसद है, जबकि त्रिपुरा में 71.6 फीसद है।

राज्य में प्रति वर्ष, लगभग 30 हजार स्कूली छात्रों को, तथा 55 हजार पोस्ट-मैट्रिक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अन्य राज्यों की तरह यहां स्कालरशिप देने में कोई गैप या अनियमितता नहीं होने दी जाती है तथा इस तरह आदिवासी छात्रों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर सहारा सुनिश्चित किया जाता है। आदिवासी बहुल इलाकों में नये महाविद्यालय भी खोले गए हैं, ताकि आदिवासी छात्र आवश्यक उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। माध्यमिक स्तर के अनुत्तीर्ण, तथा जेईई और अन्य प्रतियोगिताओं के इच्छुक छात्रों को कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। लेकिन यह बहुत ही निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में आदिवासी छात्रों के शिक्षा संबंधी कल्याण के लिए कोई संस्था स्थापित नहीं की है।

संस्कृति एवम भाषा

कोकबोरोक, जो कि एक आदिवासी भाषा है, उसे शिक्षा संस्थाओं में बढ़ावा दिया जाता तथा पढ़ाया जाता है। भाजपा शासित प्रदेशों में जिस प्रकार शिक्षा का हिन्दीकरण किया जा रहा है, उस प्रष्ठभूमि में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार, आदिवासी संस्कृति के उत्थान के लिए एक अकादमी तथा एक म्यूजियम की स्थापना की गयी है।

सांसद कॉ. जितेन्द्र चौधरी 39वाँ कोकबोरोक दिवस उत्सव का उद्घाटन करते हुए

कृषि— समृद्धि की खेती

भारत में कृषि गहरे संकट में है। खाद बीज आदि की बढ़ी हुयी लागत ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। उनकी कर्जदारी बहुत बढ़ गयी है, और खेती पर बड़े व्यापारियों तथा कृषि प्रसंस्करण कंपनियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी उत्पादकता में भी गतिरोध जारी है। लेकिन त्रिपुरा ने एक भिन्न मार्ग अपनाने के प्रयास में सफलता हासिल की है। लैफ्ट फ्रंट सरकार द्वारा, गंभीर सीमाओं के बावजूद—यथा राज्य का सुदूर क्षेत्र में स्थित होना, जमीन का जंगली तथा पहाड़ी होना, केंद्र सरकार से पर्याप्त फंड न मिलना, सिंचाई तथा कृषि प्रसंस्करण योजनाओं के लिए धनराशी का न होना—वहां खेती तथा किसानों के पक्ष में दूरगामी परिवर्तन लाये गए हैं। त्रिपुरा में अब कम उत्पादन, कम आमदनी वाली कृषि अर्थव्यवस्था नहीं रह गयी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गरीबी के जाल में फंसे रहने को विवश बने रहते हैं।

चावल के उत्पादन में, जो कि राज्य की मुख्य फसल है, पिछले दशक में 40 फीसद से अधिक की वृद्धि हुयी है और 2946 किलो प्रति हेक्टेयर की उपज दर हासिल करके त्रिपुरा, देश के उच्च उपज वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, फसन गहनता में वृद्धि 192 फीसद तक पहुँच गयी है, जो यह इशारा करती है कि एक फसली से दो फसली खेती की तरफ तेजी से परिवर्तन हुआ है। फल, सब्जी तथा मसालों के उत्पादन में वर्ष 2009 की तुलना में वहां 68 फीसद की वृद्धि हुयी है तथा रबर, जो एक नकदी फसल है, जबसे त्रिपुरा में पैदा की जाने लगी है, तबसे उसका उत्पादन इतना बढ़ गया है कि देश में केरल के बाद त्रिपुरा दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

यह वास्तव में कमाल की उपलब्धि है। एक तरफ तथाकथित हरित क्रांति वाले प्रदेश हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, जहां अनाज उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए विशाल धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। दूसरी ओर तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश जैसे विकसित राज्य हैं। लेकिन त्रिपुरा को केंद्र से रत्ती भर सहायता मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है। फिर भी, राज्य सरकार के प्रयासों से तथा किसान समर्थक नीतियों से, जिनमें कृषि विस्तार सेवाएं शामिल हैं और किसानों के कठिन परिश्रम से, यहां चावल की उपज दर में भारी वृद्धि हुयी है, जिसने त्रिपुरा को देश भर में पांचवे स्थान पर पहुंचा दिया है।

इन सब बदलावों के कारण, राज्य की जनता के बहुमत की, जो खेती पर निर्भर

चावल उत्पादन में वृद्धि (% में)

राज्य	2003/06-2013/16
त्रिपुरा	**40**
अखिल भारतीय	20
कुछ अन्य राज्य	
तमिलनाडु	38
गुजरात	36

स्रोत- कृषि मंत्रालय तथा कृषक कल्याण मंत्रालय

बागवानी उत्पादन में वृद्धि (% में)

राज्य	2009/10-2015/16
त्रिपुरा	**68**
अखिल भारतीय	27
कुछ अन्य राज्य	
गुजरात	51
पंजाब	22
राजस्थान	20
महाराष्ट्र	18

स्रोत- सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय

चावल की उपज—अखिल भारतीय रैकिंग (किग्रा प्रति हैक्टेयर)

राज्य	2015-16
1. पंजाब	3974
2. तमिलनाडु	3758
3. आंध्रप्रदेश	3465
4. हरियाणा	3061
5. त्रिपुरा	**2946**
अखिल भारतीय	**2400**
13. गुजरात	2205

स्रोत- कृषि मंत्रालय तथा कृषक कल्याण मंत्रालय

है, आय में इजाफा हुआ है। त्रिपुरा की गिनती अब कृषि मामलों में विकसित प्रदेशों में की जा सकती है और वह गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। त्रिपुरा की सुदूर व अलग–थलग अवस्थिति, औसत दर्जे की मिट्टी तथा ऐसे ही पानी के स्रोत और कठिन धरातल आदि को ध्यान में रखते हुए, उसकी ये उपलब्धियां और भी अधिक असाधारण मानी जानी चाहिए।

एक सुविचारित नीति के तहत, जिसके केंद्र में छोटे किसानों तथा कृषि मजदूरों को रखा गया है, त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार ने राज्य में निम्न उपायों का क्रियान्वयन किया है :

- **कृषि विपणन :** 554 प्राथमिक ग्रामीण मंडियों तथा 84 थोक मंडियों की स्थापना की गयी है, जिनमें 21 नियमित मंडियां हैं। ये संपर्क मार्गों पर स्थित हैं। किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का प्रबंध किया गया है।
- **कृषि ऋण :** कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण वर्ष 2000–01 के 1.36 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1609.01 करोड़ हो गया है। ऐसा जिला तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटियों की नियमित निगरानी तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से संभव हुआ है।
- **उत्तम कोटि के बीज :** पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों के प्रशिक्षण के बाद, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया गया है, जिनका भली–भांति भंडारण तथा बड़ी मात्रा में वितरण किया गया है।
- **सिंचाई :** राज्य में लगभग पूरी सिंचाई लायक 1.17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत ले आया गया है और जल उपयोग की देखभाल किसानों की समितियां तथा स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है।
- **सस्ते उर्वरक :** सरकारी खाद की दुकानों पर किसानों की खाद की जरूरत के 75 फीसद हिस्से पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी मिसाल है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 100 फीसद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है।
- **टेक्नोलॉजी का विस्तार :** सरकार के प्रयासों से, व्यापक स्तर पर चावल की गहनता की तकनीक को अपनाया जा रहा है। कृषि मशीनरी को अपनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है तथा प्रशिक्षण व समर्थन दिया जाता है। किसानों द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नवीनतम खोजों को अपनाया जाता है। किसानों की मदद के लिए किसान कॉल सेंटर तथा एस एम एस अलर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- **वेतन मजदूरी :** कृषि मजदूरों—पुरुष एवं महिला दोनों—के लिए शासकीय निम्नतम मजदूरी की दर आज की तारीख में 300 रु0 प्रतिदिन है। वहां महिलाओं को मिलने वाली मजदूरी देश भर में अधिकतम में से है। मुख्य सीजन में कृषि मजदूर को 400 से 450 रु0 तक मजदूरी मिल जाती है। उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों की तुलना में यह कहीं अधिक है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों से भी अधिक है।

उद्योग एवम श्रम—सर्जकों को प्रोत्साहन

पिछले दशक के दौरान बड़े, मध्यम तथा लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की संख्या प्रदेश में दो गुनी हो गयी है, जिससे रोजगार में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुयी है। वर्ष 2004–05 से 2015–16 के मध्य, भारत सरकार के उद्योगों के वार्षिक सर्वे के अंतर्गत आने वाली फैक्टरियों की संख्या में, 69 फीसद की अखिल भारतीय औसत वृद्धि की तुलना में, त्रिपुरा में 99 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। इसी प्रकार, इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में, त्रिपुरा में 90 फीसद की बढ़ोतरी हुयी है, जबकि देश स्तर पर यह 63 फीसद ही रही है। बढ़ोतरी का यह गतिक्रम देश के अनेक औद्योगिक प्रदेशों से कहीं अधिक है और उन प्रदेशों से भी अधिक है, जहां खनन आधारित ताजा वृद्धि देखने में आयी है। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र की भांति ही त्रिपुरा सरकार की औद्योगिक नीतियां यह जाहिर करती हैं कि सरकार की पहल पर आत्मनिर्भर औद्योगीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक संभव हो सकती है।

कारखानों की संख्या में वृद्धि (%में)

राज्य	2004/05–2014–15
त्रिपुरा	**99**
अखिल भारतीय	**69**
कुछ अन्य राज्य	
तमिलनाडु	80
गुजरात	72
झारखण्ड	70
कर्णाटक	65
मध्य प्रदेश	40

स्रोत- उद्योगों का वार्षिक सर्वे

कामगारों की संख्या में वृद्धि (% में)

राज्य	2004/05-2014-15
त्रिपुरा	**90**
अखिल भारतीय	**63**
कुछ अन्य राज्य	
तमिलनाडु	66
गुजरात	82
झारखण्ड	22
कर्नाटक	74
मध्य प्रदेश	57

स्रोत- उद्योगों का वार्षिक सर्वे

लैफ्ट फ्रंट सरकार की कुछ कल्पनाशील व रचनात्मक नीतियों का ही नतीजा है कि त्रिपुरा ने औद्योगीकरण के मार्ग पर अभीष्ट कदम बढाए हैं, जबकि वहां कभी परंपरागत रूप से उद्योगों का कोई आधार नहीं रहा है, कोई खनिज संसाधन उपलब्ध नहीं रहे हैं तथा कच्चे माल के स्रोतों से व औद्योगिक माल के उपयोगकर्ताओं से, यह प्रदेश बहुत दूरी पर स्थित है। वर्षों से त्रिपुरा को केंद्र सरकार से कोई मदद भी नहीं मिली है—सार्वजनिक क्षेत्र में कोई यूनिट नहीं स्थापित की गयी है, औद्योगिक प्रोन्नति तथा निवेश में बढ़त के लिए कोई फंड अथवा रियायत नहीं दी गयी है, आदि, आदि। हाल ही में स्थापित प्राकृतिक गैस निष्कर्षण तथा बिजली उत्पादन इकाइयों के सिवाय, केंद्र की एक के बाद एक सरकारों ने त्रिपुरा की इस मामले में उपेक्षा ही की है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रदेशव्यापी विकास ने, जिसमें बिजली उत्पादन, राजमार्ग निर्माण, तथा संचार सेवाएं शामिल हैं, औद्योगिक विकास को प्रेरित किया है। (अधिक विवरण इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी अंश में दिया गया है)। राज्य में पांच औद्योगिक पार्क तथा चार औद्योगिक इलाके स्थापित किये गए हैं। सरकार द्वारा तमाम तरह की सब्सिडियां तथा प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जो दूसरे कदम उठाये हैं, उनमें समयबद्ध तरीके से प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान किया जाना, युवकों के बीच उद्यमिता तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं।

एक अनूठी पहल के जरिये, स्थानीय संसाधनों, जैसे रबर, बांस, चाय, फल, सब्जी, तथा प्राकृतिक गैस को प्रमुख व्यवसाय चिन्हित करके प्राथमिकता दी जा रही है।

रबर तथा चाय के छोटे उत्पादकों को बेहतर व्यावसायिक लाभप्रदता तथा मूल्य संवर्द्धन के लिए संगठित किया गया है।

बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुयी है, जो 1995-96 के 4.12 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 305 करोड़ तक पहुंच गया है। इस व्यापार में सुगमता लाने के लिए आठ सीमा शुल्क चौकियां तथा दो सीमा शुल्क हाट स्थापित की गयी हैं।

दूसरे राज्यों से भिन्न, लैफ्ट फ्रंट सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, मजदूरों के वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत से अनौपचारिक तथा लघु उद्योग क्षेत्र के व्यवसायों में वैधानिक न्यूनतम वेतन की घोषणा का पालन किया जाता है, जिनमें अगरबत्ती, बीड़ी, सुनारी, सुरक्षा गार्ड, घरेलू कामगार, चावल प्रसंस्करण, रबर प्लांटेशन तथा मशीन वर्कशॉप शामिल हैं। उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों की तुलना में त्रिपुरा में वेतन सबसे ज्यादा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक स्कीम का भी शुभारम्भ किया गया है। इसका नाम असंगठित श्रमिक सहायक स्कीम रखा गया है, जिसके वर्तमान में 1.20 लाख सदस्य हैं। इसमें मात्र 50 रु0 महीने का अंशदान रखा गया है। इसी तरह अन्य अधिकांश राज्यों के विपरीत, त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार ने आंगनवाडी सेविकाओं तथा सहायकों के वेतन में भी वृद्धि करने की घोषणा कर दी है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर— औजारों का प्रावधान

पूर्ववर्ती अध्यायों में त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में जिन महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है, उनके पीछे विद्युत आपूर्ति, सड़क व यातायात सुविधा तथा संचार माध्यम जैसे मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लाये गए सुधारों का बड़ा हाथ रहा है।

विद्युत आपूर्ति :

त्रिपुरा भौगेलिक रूप से दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह तीन तरफ से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है और यहां प्राकृतिक गैस के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यहां विद्युत उत्पादन की हमेशा कमी रही है। यह औद्योगिक विकास के लिए बड़ी रुकावट रही है। लेकिन, लैफ्ट फ्रंट सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं, उनका नतीजा यह हुआ है कि वर्ष 2004-05 से 2014-15 के मध्य, स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 463 फीसद की वृद्धि हुयी है, जो कि देश भर में अधिकतम में से है तथा देश की औसत वृद्धि, 147 फीसद का तीन गुना है। राज्य एवम केंद्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के संयंत्र स्थापित किये गए हैं, जो मुख्यत: गैस टरबाइन का प्रयोग करते हैं। नतीजतन, त्रिपुरा अब अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है और बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करने लगा है।

औद्योगिक गतिविधियों के लिए विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त, घरेलू क्षेत्र के विद्युतीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गयी है। 86 फीसद घरों में बिजली पहुँच चुकी है, जिनमें 81 फीसद आदिवासी परिवार शामिल हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश के लिए 150 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करता है।

त्रिपुरा में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 463 फीसद बढ़ोतरी हुई और यह क्षमता 2004-05 के 189 मेगावाट से 2014-15 में 1063 मेगावाट हो गयी।

कुछ अन्य राज्यों में बिजली उत्पादनः स्थापित क्षमता में वृद्धि (%में)

राज्य	2004/05-2014-15
छत्तीसगढ़	852
गुजरात	219
मध्य प्रदेश	206
ओडिशा	175
अखिल भारतीय	147

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार और भारत सरकार

सड़क निर्माण :

केंद्र सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2004-05 से 2014-15 के मध्य 44 फीसद बढ़ी है। लेकिन लैफ्ट फ्रंट सरकार ने व्यापक स्तर पर सड़क निर्माण के काम को अंजाम दिया है। राज्य राजमार्गों की लम्बाई में इस दौरान, 100 फीसद की बढ़ोतरी हुयी है, जो कि राष्ट्रीय औसत का चार गुना है और देश के पैमाने पर ऊपर से तीसरे नंबर पर है। ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्र में भी इसी प्रकार के प्रयास किये गए हैं। नतीजा यह हुआ है कि त्रिपुरा में 'सड़क घनत्व' (जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में सड़क की लम्बाई को इंगित करता है), 3.6 किलोमीटर हो गया है, जो देश में चौथा अधिकतम है तथा देश के औसत 1.4 किमी के दो गुने से अधिक है।

प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क (किमी)

राज्य	2015
1. केरल	5.0
2. असम	4.2
3. गोवा	4.0
4. त्रिपुरा	**3.6**
5. पश्चिम बंगाल	3.3
अखिल भारतीय	1.4

स्रोत: भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार

रेलमार्ग :

जहां तक रेलमार्ग का ताल्लुक है, त्रिपुरा की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध में अपराधिक उपेक्षा की है। प्रदेश स्तर पर तथा देश की राजधानी में भी अनेक बार आन्दोलन किये गए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया, तब जाकर केंद्र सरकार के कानों पर जूं रेंगी। चालीस वर्ष पहले उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर शहर को भारतीय रेल सेवा के अंतर्गत लाया गया था। उसके बाद, वर्ष 2008 में ही कहीं जाकर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को रेल नैटवर्क से जोड़ा जा सका है। इस मीटर गेज की रेल लाइन को बिछाने में भी बड़ी दिक्कतें पेश आयीं। अलगाववादियों ने 28 बार हमले किये, जिनमें 36 कामगार तथा सुरक्षाकर्मी मारे गए तथा 67 लोगों का अपहरण किया गया। वर्ष 2016 में ही कहीं जाकर इसको ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा सका। वर्तमान में, इस लाइन को गोमती मण्डल में उदयपुर तक बढ़ा दिया गया है। लैफ्ट फ्रंट सरकार इस लाइन को राज्य के सुदूर कोने - सबरूम तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है।

हवाई अड्डा :

अगरतल्ला एअरपोर्ट को हवाई पट्टी के विस्तार तथा रात में विमानन की सुविधा के साथ, हवाई अड्डे को अपग्रेड किया गया है. एअरपोर्ट के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है, तथा इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित करने का कार्य भी जारी है। गुवाहाटी के बाद, यह अब उत्तर-पूर्व का दूसरा सबसे अधिक व्यस्त एअरपोर्ट हो गया है।

गरीबी उन्मूलन—
गंभीर तथा निरंतर प्रयास

राज्य में गरीबी में जो तेजी से गिरावट आयी है, वह त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। वर्ष 2004-05 से 2011-12 के मध्य, जिस अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े उपलब्ध हैं, अधिकृत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या में 62 फीसद की गिरावट आयी है। यह किसी भी राज्य में गरीबी के स्तर में तीव्र गति से आयी गिरावट के समकक्ष है। इस दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर, गरीबी के स्तर में महज 34 फीसद की गिरावट आयी है.

गरीबी में गिरावट (% में)

राज्य	2004/05-2011/12
1. गोवा	78
2. आंध्रप्रदेश	67
3. केरल	63
4. त्रिपुरा	**62**
5. हिमाचल प्रदेश	62
अखिल भारतीय	34
स्रोत - योजना आयोग, एनएसएसओ	

भारत सरकार ने त्रुटिपूर्ण पद्धति अपनाकर त्रिपुरा में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के अनुपात को कमतर करके आंका था। फिर भी वहां गरीबी में आयी गिरावट उल्लेखनीय है। इस आकलन के हिसाब से, त्रिपुरा की केवल 14 फीसद आबादी को गरीबी रेखा के नीचे बताया गया था, जो कि अखिल भारतीय स्तर के 22 फीसद से बहुत कम है। त्रिपुरा में गरीबी का आकलन संपन्न राज्यों जैसे गुजरात

(17%), महाराष्ट्र (17.4%), तथा कर्नाटक (21%) की तुलना में भी कमतर किया गया और गरीब राज्यों की तुलना में तो बहुत ही कम करके किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ (40%), झारखण्ड (37%), बिहार (34%), तथा असम (32%)। गरीबी का इतना कम होना, त्रिपुरा की ख़ास सामाजिक बनावट—31 फीसद आदिवासियों तथा 18 फीसद अनुसूचित जातियों—के मद्देनज़र कुछ अधिक ही उल्लेखनीय बात हो जाती है।

गरीबी के स्तर में आयी गिरावट, असल में तमाम जनोन्मुखी उपायों, जैसे कि कृषि आय में वृद्धि, औद्योगीकरण के क्षेत्र में प्रसार, शिक्षा एवम स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की बेहतर पहुंच, आदि का नतीजा है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजनाओं को तथा 33 समाज कल्याणकारी व अन्य योजनाओं को ईमानदारी तथा तत्परता से लागू किया गया है। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लोगों की जनतांत्रिक भागीदारी तथा स्थानीय निकायों के सार्थक सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त विकास परिषद की स्थापना से यह सुनिश्चित किया जा सका है कि आदिवासी समुदाय के उत्थन पर पारदर्शी व कुशल तरीके से ध्यान केंद्रित हो, जोकि प्रदेश में सबसे अधिक गरीब तबका रहा है। इसके साथ ही, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्र विरोधी एवम आतंकवादी ताकतों को राजनीतिक रूप से परास्त एवम अलग-थलग किया जा सका है, जिनको पहले कांग्रेस तथा बाद में बीजेपी से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है।

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जनसंख्या का %

त्रिपुरा	**14.05**
अखिल भारतीय	**21.92**
तमिलनाडु	11.28
गुजरात	16.63
महाराष्ट्र	17.35
उत्तर प्रदेश	29.43
झारखण्ड	36.96
छत्तीसगढ़	39.93

स्रोत - योजना आयोग, एनएसएसओ, 2011-12

रोजगार—
प्रायोजन की सुनिश्चितता

भारत की जनता के सामने रोजगार की समस्या एक प्रमुख मुद्दा रही है। वर्षों से अपनाई जा रही नव उदारवादी आर्थिक नीतियों ने एक ऐसे आर्थिक विकास के मॉडल को जन्म दिया है, जिसको रोजगार रहित विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसमें धनी एवं संपन्न तबकों का भला किया जाता है तथा आम जनता व मध्यम वर्ग के बड़े हिस्से को गरीबी की ओर धकेला जाता है। इसलिए, कुल उत्पाद के हिसाब से तो अर्थ व्यवस्था में उभार आता है, किन्तु रोजगार में बढ़त ठप्प रहती है अथवा बहुत धीमी गति से चलती है।

त्रिपुरा ने, जो कि इसी व्यवस्था का अभिन्न अंग है और इसलिए वास्तविक विकास तथा सम्पन्नता पर लगीं उपरोक्त सीमाओं से मुक्त नहीं है, राज्य सरकार के स्तर पर विकासकारी निवेश का सहारा लेकर इन सीमाओं से छुटकारा पाने का प्रयास किया है। इस तरह, कारपोरेट जगत व बड़े जमींदारों को फायदा पहुंचाने की जगह आम जनता के आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता दी गयी है। इस प्रक्रिया में एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह देखने में आया है कि राज्य में रोजगार के मामले में असाधारण वृद्धि हुयी है। हालांकि, रोजगार के वर्ष 2011 की जनगणना तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन यह साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे देश की तुलना में त्रिपुरा में अपनाई गयी रणनीति किस तरह पूरी तरह भिन्न रही है।

त्रिपुरा में, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को समायोजित करने के उपरान्त, कामगारों की संख्या में, 2001 से 2011 के मध्य, 12 फीसद की वृद्धि हुई है। यह पूरे देश की औसत वृद्धि (2%) की अपेक्षा छः गुना अधिक है, तथा उन सभी तथाकथित विकसित प्रदेशों जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तथा हरियाणा की तुलना में कहीं अधिक है। यह पड़ौसी राज्यों से भी अधिक है, केवल नगालैंड को छोड़कर, जहां जनसंख्या में पिछले दशक में आयी कुल गिरावट के नतीजतन कामगारों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हो रही है।

जनसंख्या वृद्धि के समायोजन के उपरान्त कामगारों की संख्या में वृद्धि (% में)

राज्य	2001-11 के बीच
त्रिपुरा	**11.93**
अखिल भारतीय	**2.07**
कुछ अन्य राज्य	
असम	8.39
केरल	8.08
गुजरात	-2.78
पंजाब	-5.47
मेघालय	-5.69
हरियाणा	-13.47
मिजोरम	-19.32

स्रोत: जनगणना, 2001 तथा 2011

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत, त्रिपुरा में, दूसरे राज्यों की तुलना में, सबसे अधिक दिनों के लिए काम दिया जाता रहा है। पूरे देश में दिए जा रहे औसत काम के दिनों की तुलना में वहां दो गुने दिनों का काम दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों सहित, राज्य के हर कोने में इस योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया गया है। इस मामले में, कामगारों की शिकायतें न्यूनतम रही हैं, और प्रशासन लोगों की जरूरतों के प्रति पूरी तरह सजग रहा है। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार, योजना के तीन मानकों—काम के दिनों की संख्या, वेतन भुगतान में देरी, तथा काम की पूर्णता—के आधार पर, त्रिपुरा को सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—त्रिपुरा सबसे आगे
(प्रति वर्ष औसत काम के दिन)

वर्ष	त्रिपुरा	अखिल भारतीय
2014-15	88	40
2015-16	94	49
2016-17	80	46

स्रोत -ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

त्रिपुरा में, इस महत्वपूर्ण केद्र सरकार पोषित योजना के क्रियान्वयन में, उत्तरोत्तर केन्द सरकारों ने, पहले यूपीए, और अब मोदी सरकार ने, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की हैं। केन्द्र सरकार ने लगातार राज्य सरकार को जरूरी फंड न उपलब्ध कराके इस योजना का गला घोंटने का प्रयास किया है। जब मोदी सरकार ने 1400 करोड़ के स्थान पर मात्र 650 करोड़ का आवंटन किया था, तब नवम्बर, 2014 में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री को, इस भेदभाव के विरोधस्वरूप दिल्ली में धरने तक पर बैठना पड़ा था।

इस वर्ष भी, मोदी सरकार ने, श्रम घटक के बजट में इतनी तीखी कटौती की है कि आवंटित धन राशि से साल में केवल 32 दिनों का काम ही दिया जा सकता है। मोदी सरकार, जानबूझकर, फंड मुहैया कराने में देर कर रही है, जिससे कि मजदूरी के भुगतान में विलंब हो सकता है। ऐसी स्थिति में, त्रिपुरा सरकार अपने स्तर पर अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है, ताकि देरी से भुगतान की स्थिति से लोगों को कुछ हद तक उबारा जा सके।

खाद्यान्न सुरक्षा- महत्वपूर्ण पहलें

त्रिपुरा की लेफ्ट फ्रंट सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सिद्धांत का समर्थन करती आयी है और इसके लिए अपने साधनों तक का इस्तेमाल करती आयी है, ताकि जनता के बड़े हिस्से को खाद्य सुरक्षा के घेरे से बाहर रखने की केंद्र सरकार की गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे की विभेदकारी और धोखाधड़ी पूर्ण नीति के दुष्परिणामों से लोगों को बचाया जा सके।

वर्ष 2012 में, केंद्र सरकार की नीतियों से अलग हटकर, लैफ्ट फ्रंट सरकार ने अपने स्तर पर फंड देकर, दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाने वाले अनाज की मात्रा बढ़ाकर 35 किलो कर दी तथा केंद्र सरकार द्वारा सीमित संख्या में चिन्हित परिवारों की संख्या में भी इजाफा कर दिया। इससे जनता को कुछ राहत पहुंच पायी। राज्य सरकार ने, राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल तथा मसूर दाल उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के पास होने तथा मोदी सरकार द्वारा इसके विलंबित कार्यान्वयन के बाद त्रिपुरा राज्य को अनाज के आवंटन में कटौती का सामना करना पड़ा है। बारम्बार ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद, मोदी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराने से मना कर दिया तथा 3.23 लाख मैट्रिक टन के स्थान पर 2.71 लाख मैट्रिक टन का आवंटन कर और अधिक कटौती थोप दी है। राज्य सरकार ने हालांकि अपनी ओर से सब्सीडी में बढ़ोतरी की है, मगर केंद्र सरकार की नीतियों से खाद्य सुरक्षा को गहरा आघात लगा है।

केन्द्रीय पूल से राज्य को जो अनाज उपलब्ध होता है, उसका 1798 राशन दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से वितरण किया जाता है तथा दोपहर का भोजन और अन्य योजनाओं में इस्तेमाल किया जाता है। त्रिपुरा में एक ऐसी ठोस व्यवस्था लागू की गयी है कि अनाज की उपलब्धता सभी दुकानों पर तय समय से तथा बिना अंतराल के सुनिश्चित हो। राशन दुकानों से अनाज की कुल खरीद यह प्रदर्शित करती है कि आवंटित अनाज

का किस हद तक वास्तविक वितरण हो रहा है। त्रिपुरा का यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से यह हमेशा ही अधिक रहता है तथा सभी अन्य मुख्य आदिवासी राज्यों से बेहतर होता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी त्रिपुरा की स्थिति बेहतर रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेचे जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि आटा, चावल, नमक आदि, पर लगने वाले भाड़े पर सरकार छूट देती है। दालों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कैश सब्सिडी दी जाती है।

अनाज तथा नमक की भंडारण सुविधा की अपर्याप्तता के चलते त्रिपुरा को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। भारतीय खाद्य निगम के पास, 30,670 मैट्रिक टन क्षमता के सात गोदाम ही हैं, जो नाकाफी रहे हैं। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित वस्तुओं के भंडारण के लिए 46,130 मीट्रिक टन क्षमता के 118 गोदाम बनवाये हैं।

चावल और गेहूं का वितरण
(आवंटित मात्रा का प्रतिशत)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
त्रिपुरा	**102.7**	**99**	**96.6**	**102.9**
अखिल भारत	**88.9**	**85.7**	**94.8**	**96.4**
कुछ अन्य राज्य				
झारखंड	75.3	70.5	75.1	97.6
गुजरात	72.2	90.3	96.7	99.7
मध्य प्रदेश	91.8	91.1	93.9	91.1
छत्तीसगढ	98.1	99.4	100	91.7
आसाम	94.8	97.4	91.3	92.8

स्रोत: उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य व सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार

स्वास्थ्य—शरीर का उपचार

त्रिपुरा ने एक ऐसी स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली को विकसित करने में महारत हासिल की है, जो जनता की जरूरतों की परवाह करती है तथा उचित देखभाल करती है। यह सभी के लिए सुलभ है, तथा महंगी नहीं है, जैसा कि आजकल सामान्यत: देखने में आता है। इसके सकारात्मक परिणाम स्वास्थ्य के कई मापदंडों पर देखने को मिलते हैं.

शिशु मृत्यु दर में पिछले एक दशक में 50 फीसद की बड़ी गिरावट आयी है। यह दर अब 20 प्रति एक हजार जीवित प्रसव के स्तर पर आ गयी है। इस हिसाब से त्रिपुरा विकसित प्रदेशों— तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब की कतार में शामिल हो गया है और गुजरात (33) हरियाणा (36) से आगे निकल गया है तथा मध्य प्रदेश (50), असम (47) की तुलना में आधे से कम की दर प्राप्त करने में सफल रहा है। इसी प्रकार, मातृ मृत्यु दर भी घटकर 62 प्रति एक लाख जीवित प्रसव हो गयी है, जबकि इसका अखिल भारतीय औसत 174 का है।

त्रिपुरा में, जन्म दर व मृत्यु दर, दोनों में तेजी से गिरावट आयी है, जिसके मायने होते हैं—अधिक स्वस्थ व चिरायु जीवन। त्रिपुरा में जन्म दर 14.7 प्रति एक हजार है, जो देश में तीसरी सबसे कम दर है तथा मृत्यु दर पांचवीं सबसे कम है और दोनों ही अखिल भारतीय औसत दरों से काफी नीचे हैं।

राज्य में और खासकर सुदूर आदिवासी इलाकों में, स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य उप-केंद्र हो, ऐसा निर्णय लेने के उपरान्त, उनकी संख्या में वर्ष 2005 से लेकर 92 फीसद की बढ़ोतरी हुयी है, जो कि सभी राज्यों की तुलना में सर्वोच्च है। इन उप-केन्द्रों पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें मुफ्त जांच, परिवहन, शिशु व मातृ देखरेख तथा अन्य विभिन्न सेवाएं शामिल हैं।

इसी प्रकार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि हुयी है। उच्चतर स्तर पर, 12 उप-मंडलीय अस्पताल, (छ: अन्य निर्माणाधीन हैं) 6 जिला अस्पताल तथा 6 अन्य राज्य स्तरीय अस्पताल उपलब्ध हैं।

त्रिपुरा की स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था: देश में आगे

% में बढ़ोतरी	त्रिपुरा	अखिल भारतीय
स्वास्थ्य उपकेंद्र	92	6
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	29	9
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	100	65
स्वास्थ्य परिणाम		
आइएमआर	20	37
एमएमआर	62	174
जन्म दर	14.7	20.8
मृत्यु दर	5.2	6.5
टीएफआर	1.7	2.2
शिशु लिंग अनुपात	957	919
संस्थागत प्रसव	90%	79%

स्रोत: एनएचएम, एसआरएस, एनएफएचएस-4, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय।

दूसरे प्रदेशों के विपरीत, त्रिपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों व नर्सों की कमी नहीं होती है। आदिवासी इलाकों तक में डॉक्टर तथा अन्य स्टाफ उपलब्ध होते हैं। हां, स्पेशलिस्ट लोगों की कुछ कमी है, पर इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय किये जा रहे हैं, जैसे कि स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोतरी, अनुभव मानक में छूट, पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए अधिक प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था आदि।

त्रिपुरा की राज्य संचालित स्वास्थ्य व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इलाज, जांच, सर्जरी आदि नि:शुल्क होते हैं। सभी केन्द्रों पर दवाएं तथा जांच की नि:शुल्क व्यवस्था होती है। सभी मरीजों को भोजन नि:शुल्क दिया जाता है। सभी डायलसिस सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध होती हैं। विभिन्न अस्पतालों में 17 काउंटरों के माध्यम से सस्ते रेट पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।

एक अनोखी योजना के अंतर्गत, ऐसे मरीजों को, जिनकी वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये से कम होती है, उनको इलाज के लिए राज्य के बाहर के हॉस्पिटल में भेजना आवश्यक होता है तो, आवागमन की मद में दस हजार रुपये, तथा इलाज की मद में एक लाख पंद्रह हजार रुपये तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है। राज्य के भीतर ही अगर इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में भेजा जाना आवश्यक होता है तो आवागमन के

खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

राजकीय अस्पतालों में यदि इलाज की जरूरी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो कैंसर मरीजों को दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। बीपीएल मरीजों को दो लाख तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाती है, तथा उन कैंसर मरीजों को, जिनकी डेढ़ लाख से कम आय होती है, 600 रु0 प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इसी प्रकार, एड्स बीमारी से पीड़ित मरीजों को 600 रु0 महीने की पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोग पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाता है तथा उन्हें मजदूरी के नुकसान की भरपाई के रूप में 8000 रु0 का मुआवजा दिया जाता है।

राज्य में संस्थागत प्रसव 90 फीसद तक होने लगे हैं। इनको शत प्रतिशत तक लाने के लिए, दूर-दराज के इलाकों में, ऐसी व्यवस्था की गयी है कि प्रसव की नियत तारीख से एक सप्ताह पहले से महिला व एक सहायक 'जच्चा घर' में रुक सकते हैं, जहां उनके भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है। पूरे प्रदेश स्तर पर, प्रसव से सम्बंधित सभी खर्चे तथा आवागमन की सुविधाएं, मुफ्त उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े सभी कार्यक्रम, जैसे कि टीकाकरण, नवजात शिशु देख-रेख आदि त्रिपुरा में पूर्ण रूपेण कार्यान्वित किये जाते हैं.

ओलम्पिक कांस्यपदक विजेता दीपा कर्माकर का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री

शिक्षा- मस्तिष्क की समृद्धि

लैफ्ट फ्रंट सरकार की बहु आयामी शिक्षा नीति ने, जिसका उद्देश्य सबको शिक्षा उपलब्ध कराना रहा है, और जिसमें आदिवासियों, दलितों तथा अन्य हाशिये पर पड़े लोगों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, राज्य में शिक्षा के परिदृश्य में भारी बदलाव ला दिया है। शिक्षा में विस्तार तथा सुधार, अंध-निजीकरण के बजाय, पब्लिक फंडिंग के जरिये लाया गया है। सरकार का यह केंद्र बिंदु रहा है कि शिक्षा के सार्वजनिक स्वरूप पर बल दिया जाय। इस तरह, शिक्षण शुल्क में किसी भी तरह की वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सका है।

साक्षरता :

त्रिपुरा में साक्षरता दर 97% पर पहुंच गयी है, जो देश में अधिकतम स्तर है। वर्ष 2011 में देश की औसत साक्षरता दर 73% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, त्रिपुरा में साक्षरता में, 2001 के मुकाबले 14% से अधिक की वृद्धि हुयी थी, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 8% रही थी।

त्रिपुरा में साक्षरता

2016 में 97.22%

क्षेत्र	2011
त्रिपुरा	87%
अखिल भारतीय	73%

स्रोत: 2011 की जनगणना।

स्कूली शिक्षा :

6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सारे बच्चों को स्कूलों में भर्ती किया जाता है। इससे अधिक उम्र के ग्रुप में भर्ती में भी इजाफा होता रहा है। राज्य में, वर्ष 2001-02 में लगभग 94 हजार ऐसे बच्चे थे, जो स्कूलों में भर्ती नहीं हुए थे। यह संख्या अब घटकर मात्र 601 रह गयी है, जिनमें से अधिकतर ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह अपंग हैं और स्कूल

जाने में सक्षम नहीं हैं। स्कूलों को इस तरह युक्तिसंगत बनाया गया है कि दूर-दराज के आदिवासी गांवों के बच्चों की भी पहुंच उन तक हो। आज की तारीख में, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है, जहां मात्र एक अकेला अध्यापक नियुक्त हो, जबकि देश स्तर पर अभी भी 7.5% स्कूल ऐसे हैं।

स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का, प्राइमरी तथा अपर-प्राइमरी स्तर पर प्रतिशत क्रमश: 2.19 तथा 2.87 है, जो 5.13 तथा 11.72 के अखिल भारतीय स्तर से बहुत कम है।

राज्य सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर रहा है। इससे स्कूली बच्चों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार आया है, जैसा कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कराये गए सर्वेक्षण से साबित होता है। त्रिपुरा के कक्षा तीन के छात्रों ने भाषा ज्ञान में 281 अंक प्राप्त किये थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 257 अंक रहा। इसी प्रकार, अंकगणित में त्रिपुरा के छात्रों ने 262 अंक प्राप्त किये, जबकि राष्ट्रीय औसत 252 रहा। उत्तर-पूर्व के सभी आठ राज्यों में, इन दो विषयों में, त्रिपुरा के छात्रों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किये। इसी प्रकार, त्रिपुरा के पांचवी कक्षा के छात्रों ने भाषा, अंकगणित, तथा ईवीएस विषयों में राष्ट्रीय औसत से अधिक अंक प्राप्त किये।

त्रिपुरा में छात्रों का प्रदर्शन

कक्षा-3

विषय	त्रिपुरा	अखिल भारतीय
भाषा	281	257
गणित	262	252
	कक्षा-5	
भाषा	253	241
गणित	245	241

स्रोत: नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2014, 2015, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

तकनीकी, व्यावसायिक तथा उच्चतर शिक्षा :

केंद्र सरकार द्वारा बरती गयी उपेक्षा तथा आर्थिक सीमाओं के चलते त्रिपुरा उच्चतर शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन, राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से, जहां उच्चतर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुयी है। 1998 से 2016 के बीच विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र एक से बढ़कर तीन हो गयी तथा महाविद्यालयों की संख्या 14 से बढ़कर 24 हो गयी। 11 अलग-अलग

व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों के लिए संस्थाएं अस्तित्व में आयीं हैं, जिनमें इंजीनियरिंग व मैडीकल शिक्षा के अतिरिक्त अध्यापकों के प्रशिक्षण, फार्मेसी, कृषि, पशु चिकित्सा, मछली पालन, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, क़ानून, संगीत आदि क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कई संस्थाएं राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में स्थापित की गयीं हैं। इस सब के परिणामस्वरूप, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, कुल भर्ती अनुपात ने 2007 के 7% से बढकर 2015-16 में लगभग 17% के आंकड़े को छू लिया है।

उच्चतर शिक्षा का विस्तार

स्तर	1998	2016
विश्वविद्यालय	1	3
राष्ट्रीय स्तर के संस्थान	0	1
डिग्री कॉलेज	14	24
इंजीनियरिंग कालेज	1	3
मैडीकल कालेज	0	2
पोलीटैक्नीक	1	6
अन्य प्रोफेशनल कालेज	9	21

स्रोत: त्रिपुरा सरकार।

एकलव्य मॉडल रेज़ीडेंशियल स्कूल, खुमुलवंग ए डी सी क्षेत्र, के छात्र

अर्थनीति–
प्रगति का वित्त पोषण

कृषि उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का प्रसार, कामगारों के वेतन में वृद्धि, तथा स्वास्थ्य व सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में सुधारों का, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। वर्ष 2004-05 से 2014-15 के मध्य, जिसके आंकड़े सभी राज्यों के लिए उपलब्ध हैं, त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था में सालाना औसत वृद्धि 12.6%की रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 11.3% रही है। यह वृद्धि दर कई अन्य विकसित राज्यों की, तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के सभी राज्यों की तुलना में बेहतर रही और लगातार कायम रही है।

त्रिपुरा में, इस दौरान, प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर भी, जो 10.3% के

औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर
(% में)

राज्य	2004/05-14/15
त्रिपुरा	**12.6**
अखिल भारतीय	**11.3**
कुछ अन्य राज्य	
तमिलनाडु	13.7
महाराष्ट्र	12.4
मध्य प्र0	10.8
प0 बंगाल	9.1
पंजाब	9.1

स्रोत: सीएसओ, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

स्तर पर रही है, राष्ट्रीय दर से अधिक है और यह सभी प्रदेशों की तुलना में चौथी अधिकतम आय की वृद्धि दर है।

पिछले वर्षों का त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था का यह मजबूत प्रदर्शन, विकास की अन्य योजनाओं को राज्य में लागू करने में बहुत सहायक रहा है, जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम आये हैं। उदाहरण के लिए, 2014-15 के दौरान, त्रिपुरा सरकार, राज्य जीडीपी का 18% हिस्सा सामाजिक सरोकारों, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर सकी है। यह बाकी सभी राज्यों की तुलना में, जिनका औसत मात्र 8% रहा है, दो गुने से भी अधिक है। त्रिपुरा की आबादी में लगभग एक-तिहाई हिस्सा आदिवासी समुदाय का है इसलिए, सामाजिक कल्याण की मद में किये गये खर्च के मामले में त्रिपुरा दूसरे कई ऐसे राज्यों से आगे है, जहां आबादी में आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा है, जैसे गुजरात, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
(% में)

राज्य	2004/05-14/15
त्रिपुरा	**10.3**
अखिल भारतीय	**8.1**
कुछ अन्य राज्य	
तमिलनाडु	11.7
महाराष्ट्र	9.5
मध्य प्र0	7.2
प0 बंगाल	7.1
पंजाब	5.8

स्रोत: सीएसओ, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सामाजिक कल्याण में खर्च
(राज्य जीडीपी के % में)

राज्य	2014-15
त्रिपुरा	**17.9**
अखिल भारतीय	**8**
कुछ अन्य राज्य	
नागालैंड	16.1
असम	14.3
छत्तीसगढ़	12.9
झारखण्ड	11.8
मध्य प्र0	11.3
ओडिशा	11.3
प0 बंगाल	7.7
गुजरात	5.6

स्रोत—भारतीय रिजर्व बैंक

अपराध नियंत्रण – सुरक्षा की सुनिश्चितता

सांज्ञेय अपराध (बदलाव % में)

राज्य	बदलाव 2010-15
त्रिपुरा	**-19**
अखिल भारतीय	**33**
गुजरात	9
मध्य प्रदेश	25
महाराष्ट्र	32
पश्चिम बंगाल	38
तमिलनाडु	1

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

महिलाओं के खिलाफ अपराध
(बदलाव % में)

राज्य	बदलाव 2010-15
त्रिपुरा	**-24**
अखिल भारतीय	**53**
गुजरात	-5
मध्य प्रदेश	47
महाराष्ट्र	98
पश्चिम बंगाल	27
तमिलनाडु	-13

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

अलगाववादी व आतंकवादी गिरोहों की शिकस्त और शान्ति की बहाली के अलावा, त्रिपुरा की लैफ्ट फ्रंट सरकार राज्य में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने में सफल हुयी है, जिसमें अपराधों पर सहज नियंत्रण हो सका है। 2010 से 2015 के बीच के पांच वर्षों में, त्रिपुरा में कुल संज्ञेय अपराधों में 19% की कमी आयी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अपराधों में 33% की भारी वृद्धि हुयी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी, त्रिपुरा में इस दौरान 24% की कमी आयी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इनमें 53% की बढ़ोतरी हुयी है।

अपराधों में आयी गिरावट की इन ऊंची दरों के ये मायने नहीं है कि त्रिपुरा से सारे अपराध समाप्त हो चुके हैं। इसके मायने केवल ये हैं कि सरकार के लगातार प्रयासों तथा जनता के सहयोग से, समाज में अपराधों के खिलाफ सफल संघर्ष छेड़ा जा सका है।

उपसंहार

त्रिपुरा मॉडल को जिस राजनीतिक-आर्थिक सन्दर्भ में लागू किया जा रहा है, वह अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जो उन ख़ास नीतियों को उग्र रूप से लागू कर रही है, जिनसे समाज में भारी गैर-बराबरी पैदा हो रही है। मोदी शासन के तीन वर्षों में, जनसंख्या का एक प्रतिशत धनी तबका, राष्ट्र की कुल संपदा के 58% हिस्से पर काबिज हो चुका है, जो 10% की बढ़ोतरी दिखाता है। सामाजिक कल्याण के लिए किये जाने वाले खर्चों से सरकार ने अपने हाथ खींच रखे हैं और सार्वजनिक सेवाओं का थोक में निजीकरण किया जा रहा है। इस सब का एक प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार से संसाधन तभी मिल पाते हैं, जब जन- विरोधी नीतियों को लागू करने की शर्त मान ली जाती है—जैसे कि उपयोगकर्ता से फीस वसूलना, पानी व बिजली शुल्क में वृद्धि करना, प्राइवेट-पब्लिक मॉडल को लागू करना—जिनका नतीजा यह होता है कि संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ता जाता है। सरकार को केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का जिम्मा दे दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर रोक लगा दी जाती है। जीएसटी के लागू हो जाने से, संसाधन जुटाने के मामले में प्रदेश सरकारों की स्थिति और अधिक नाजुक हो गयी है। अगर इस सब के बावजूद तथा तमाम बाधाओं को पार करके, त्रिपुरा सरकार इस पुस्तिका में दर्शाए गए सामाजिक विकास के बहुत से कार्य कर पायी है, तो यह पार्टी तथा वामपंथी नेतृत्व की उस इच्छा शक्ति तथा प्रतिबद्धता का ही परिचायक है, जो उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल विकास के वैकल्पिक तथा जनोन्मुखी मॉडल पर किए जाने को वांछित समझती है।

बीजेपी-आरएसएस इसी को नष्ट करना चाहते हैं।

लेकिन, बीजेपी-आरएसएस जिन अंधेरी तथा विभाजनकारी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, त्रिपुरा की बहादुर जनता उनको करारी शिकस्त देने में सक्षम है।

इसलिए, बीजेपी-आरएसएस के झूठ व पाखण्ड का पर्दाफाश करने के लिए, हमें पूरे देश में त्रिपुरा के बहादुराना संघर्षों का वर्णन तथा समर्थन करना चाहिए।